"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2011—चैत्र 29, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2011

आदेश

क्र. 2869/डी-945/21-ब/छ.ग./2011.—छत्तीसगढ़ राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहरित करते हुए उक्त न्यायाधीश को सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थ करता है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

स. क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री डॉक्टरलाल कटकवार, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर

Raipur, the 18th April 2011

ORDER

No. 2869/D-945/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government of Chhattisgarh hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh Withdrawing the Service of the member of Higher Judicial Service specified in Column No. (2) of the Schedule, from High Court, appoints him Judge of the Family Court specified in column No. (3). He is directed to take over the charge in the Family Court.

S. No.	Name of Judicial Officer with Present place of posting	Name of the Court
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Doctorlal Katakwar, I Addl. District & Sessions Judge, Mahasamund.	Judge, Family Court, Ambikapur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.